हनुमंत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

[1]माननीय न्यायमूर्ति जसबीर सिंह और के.सी. पुरी, के समक्ष
हनुमंत सिंह एवं अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता
सी.डब्ल्यू.पी. 2006 का क्रमांक 7862
4 जुलाई 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-याचिकाकर्ताओं को शुरू में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया-सेवाओं का नियमितीकरण-क्या तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा के बाद नियमित सेवा को उच्च वेतनमान/एसीपी का लाभ देने के लिए गिना जा सकता है-अभिनिर्धारित किया गया, नहीं-हालाँकि, ऐसे सेवा के बाद की नियमित सेवा को 10/20 या 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने और पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए गिना जाता है।

अभिनिर्धारित किया गया ;
(ए) नियमित सेवा के बाद तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा को 8/18 या 10/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान/सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना का लाभ देने के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।
(बी) तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा के बाद नियमित सेवा को 10/20 या 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।
(सी) तदर्थ कार्य सेवा के बाद नियमित सेवा को पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।
(पैरा 25)

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवेश कुमार रोहिल्ला, अधिवक्ता, आर.एन. शन्ना, संजीव गुप्ता, एच.एन. खंडूजा, बी.के. बागरी और एस.पी. लालेर अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए.

हरीश राथे, वरिष्ठ डीएजी हरियाणा.

---

[1](1) 2005 (2) हालिया सेवा निर्णय 721

(2) 2007 (1) हालिया सेवा निर्णय 111

निर्णय

के.सी. पुरी, जे.

(1) जैसा कि 1995 की तत्काल सिविल रिट याचिका और सिविल रिट याचिका संख्या 6044 में है, जिसका शीर्षक सावित्री देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है, 1995 के 7684 का शीर्षक यशपाल दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 8374 है। 1995 का शीर्षक राज कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1995 के 8381 का शीर्षक चरणजीत शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1995 के 8382 का शीर्षक योगिंदर सिंह शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1995 के 8383 का शीर्षक सुभाष चंद बंसल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 1995 के 8384 का शीर्षक सुभाष चंदर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2003 के 546 का शीर्षक मांगे राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2003 के 5144 का शीर्षक अशोक कुमार अरोड़ा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य हरियाणा और अन्य, 2003 के 12929 का शीर्षक तेज पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003 के 13363 का शीर्षक राम भज शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003 के 18749 का शीर्षक जय सिंह सैनी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2004 के 2523 का शीर्षक हंस राज दहिया और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2004 के 2973 का शीर्षक कमला देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2004 के 14895 का शीर्षक दया नंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2004 के 15389 का शीर्षक मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2004 के 18352 का शीर्षक मेवा देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2005 के 8500 का शीर्षक मंगत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2006 के 10565 का शीर्षक परवीन कुमार गोयल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2006 के 12568 का शीर्षक धर्म सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2006 के 15804 का शीर्षक डॉ. सत्यपाल शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2006 के 17048 का शीर्षक टेक चंद और अन्य बनाम स्टेस हरियाणा और अन्य, 2006 के 19742 का शीर्षक शांता देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 2874 का शीर्षक ईश्वर सिंह और अन्य बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 5454 का शीर्षक मस्त राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 5667 का शीर्षक भजन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 9585 का शीर्षक बैसाखी राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 11800 का शीर्षक आशा रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 15014 का शीर्षक पियारा लाल बनाम राज्य का 2007 के हरियाणा 18356 का शीर्षक बलजीत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2007 के 19310 का शीर्षक राजेंद्र कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2008 के 5485 का शीर्षक बृज लाल बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा और अन्य, 2008 के 7391 का शीर्षक धर्मपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2008 का 7471 शीर्षक श्रीमती। सलोचना गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2008 का 1595 शीर्षक कलावती बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, तथ्य और कानून के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए पार्टियों के विद्वान वकील की सहमति से, इस सामान्य निर्णय से इन सभी सिविल रिट याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा है। हालाँकि, तथ्य 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 7862 से लिए जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल सिविल रिट याचिका दायर की, जिसमें 10 मई, 2006 के विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति की रिट की मांग की गई (अनुलग्नक पी-8, पी-9 और पी-एल जो 8/1 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद दी जाने वाली वरिष्ठता, उच्च मानक वेतनमान और एसीपी का लाभ वापस ले लिया गया है। वे मंडमस की प्रकृति में एक रिट भी चाहते हैं, जिससे उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि उन्हें अपना वेतन उसी तरह प्राप्त करने की अनुमति दी जाए जैसा कि उन्हें दिया गया था। आक्षेपित आदेशों के पारित होने से पहले उनके द्वारा तैयार किया गया।

(3) याचिकाकर्ताओं का मामला संक्षिप्त और अनावश्यक विवरणों से रहित है, उनका मामला यह है कि उन्हें 1 दिसंबर, 1973, 20 मई, 1977 और 18 अप्रैल, 1974 क्रमशः को डीजल पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें 400-600 रुपये के वेतनमान पर सहायक कैशियर के पद पर पदोन्नत किया गया। यहां तक कि डीजल पंप अटेंडेंट की सूची भी तैयार की गई और याचिकाकर्ताओं के नाम भी वरिष्ठता सूची में शामिल किए गए।

(4) याचिकाकर्ताओं की पहली शिकायत यह है कि शुरुआत में उन्हें उचित माध्यम से डीजल पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। इस प्रकार, वे डीजल पंप अटेंडेंट के रूप में प्रारंभिक नियुक्तियों की तारीख से वरिष्ठता के हकदार थे।

(5) उनकी दूसरी शिकायत यह है कि नियमितीकरण की तिथि से यानी वरिष्ठता प्रदान करने के प्रभाव से वे डीजल पंप अटेंडेंट के नियमित वेतनमान के भी हकदार हैं। इसके अलावा, वे हरियाणा संशोधित वेतनमान नियम, 1998 की शुरूआत के द्वारा हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान में संशोधन के भी हकदार हैं, जिसे 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया था।

(6) याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति उनसे कनिष्ठ हैं, उन्हें पहले ही 5,000 7,800 रुपये का वेतनमान दिया जा चुका है। उन कनिष्ठ व्यक्तियों को या तो सहायक कैशियर के रूप में उनकी पदोन्नति की तारीखों के बहुत बाद नियुक्त या पदोन्नत किया गया था। वे 10/20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उच्च मानक वेतनमान का दावा भी करते हैं।

(7) याचिकाकर्ताओं ने आगे दलील दी है कि ईश्वर सिंह द्वारा दायर याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में, उन्हें लाभ दिया गया है और उनका वेतन तय किया गया है और उन्हें बकाया भुगतान किया गया है। वर्ष 1973, 1974 और 1977 में उनकी नियुक्ति वास्तविक है और तदर्थ नहीं है और यहां तक कि उन्हें वरिष्ठता का लाभ भी दिया गया था। उन्हें 8 मार्च, 2006 को नोटिस प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब पर विचार किए बिना, उनके मूल दावे को अस्वीकार कर दिया गया और वेतन और एसीपी/उच्च मानक वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया, - दिनांक 10 मई, 2006 आदेश द्वारा और यहां तक कि उनसे वसूली का आदेश दिया गया था, जो नहीं हो सका।

(8) याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 1 0/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तदर्थ सेवा को उच्च मानक वेतनमान/एसीपी के लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को अस्थायी/तदर्थ आधार पर डीजल पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तरह वे अपनी सेवा के नियमितीकरण से पहले उच्च मानक स्केल/एसीपी स्केल के हकदार नहीं थे। उत्तरदाताओं ने विवादित आदेशों को कानूनी, वैध और संवैधानिक बताया।

(9) हमने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

1. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा को 8/18 या 1 0/20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान और सुनिश्चित कैरियर प्रगति का लाभ देने के प्रयोजनों के लिए गिना जा सकता है?

2. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा को 10/20 वर्ष या 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से गिना जा सकता है?

3. क्या नियमित सेवा के बाद तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा को पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा?

(11) वास्तविक विवाद का निर्धारण करने के लिए, हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा।दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

(12) कर्मचारियों के विभिन्न संघों/संघों की मांग पर, हरियाणा राज्य ने समय-समय पर कल्याणकारी उपायों के रूप में समूह 'सी' और 'डी' से संबंधित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी और ठहराव की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कीं। पहली योजना दिनांक 14 मई, 1991 के निर्देशों के तहत शुरू की गई थी। उक्त निर्देशों का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार दिया गया है।

"एफ.डी.एच.आर.एन0. 9/9/91-3पीआर(एफडी) दिनांक 14 मई, 1991 की प्रतिलिपि)

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने सभी समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 1986 से लागू समयमान में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि 10वीं और दूसरी 20वीं वर्ष की वृद्धि देने का निर्णय लिया है।

(i) 10वें वर्ष बिंदु का अर्थ वह तारीख है जिस दिन एक कर्मचारी अपने वेतनमान के प्रथम चरण (जैसे कि 10 वेतन वृद्धि अर्जित करने के बाद) पर पहुंचता है। जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1991 को या उससे पहले इस स्तर पर पहुंच गया, उसे 1 जनवरी, 1991 को अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी।

(ii) 20वें वर्ष बिंदु का अर्थ वह तारीख है जिस दिन एक कर्मचारी अपने वेतनमान के 22वें चरण पर पहुंचता है (अर्थात 20 नियमित वेतन वृद्धि अर्जित करने के बाद और अतिरिक्त वेतन वृद्धि पर)।

(iii) ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी, 1991 से पहले अपने उपरोक्त वेतनमान का पहला बिंदु पार कर लिया है, उन्हें 1 जनवरी, 1991 को केवल एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी।

(iv) यदि 10वें और 20वें वर्ष की अतिरिक्त वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी का वेतन दक्षता बार से परे स्तर तक पहुंच जाता है, तो लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि वह दक्षता बार को मंजूरी दे देता है।

(v) अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ वेतनमान में उपलब्ध होगा, न कि इस पत्र के पैरा 4(3) के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए अधिकतम वेतनमान से परे के स्तर पर।"

(13) इसके बाद, उपरोक्त योजना को *7* अगस्त, ***1992*** के सरकारी निर्देशों के तहत और संशोधित किया गया। उक्त योजना के तहत, ***10/20*** के बजाय ***8/18*** वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। सेवा के वर्ष। निर्देश निम्नानुसार दिये गये हैं।

"[एफ.डी.एच.आर.एन***0. 1/138/92-***आई(एफडी) दिनांक *7* अगस्त, ***1992*** की प्रतिलिपि]।

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र संख्या की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। ***9/9/91-3***पीआर(एफडी), दिनांक ***14*** मई, ***1991,*** पत्र संख्या ***9/9/91-3***पीआर(एफडी), दिनांक ***9*** अप्रैल, ***1992*** के साथ पठित और कहना है कि कर्मचारियों की लगातार मांग पर संशोधन के संबंध में मामला विषय के रूप में उद्धृत योजना राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने इस योजना को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:

(i) अब समूह-'सी' और 'डी' के कर्मचारियों को किसी विशेष समूह में ***8*** और ***18*** वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पहली अतिरिक्त वेतन वृद्धि ***8*** साल की सेवा के बाद और दूसरी ***1 8*** साल की सेवा के बाद दी जाएगी।

(ii) यदि नियत तारीख महीने के पहले दिन के बाद आती है तो ऐसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का अनुदान अगले महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा।

(iii) समूह 'सी' या 'डी' के लिए सेवा की गिनती के प्रयोजन के लिए किसी विशेष समूह में प्रदान की गई पूरी सेवा को निर्धारित सेवा अवधि के रूप में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, क्लर्क, सहायक और उपाधीक्षक आदि के रूप में की गई सेवा समूह 'सी' में गिनी जाएगी और चपरासी, दफ्तरी, जमादार आदि के रूप में प्रदान की गई सेवा समूह 'डी' में गिनी जाएगी।

(iv) जो कर्मचारी पुरानी योजना के तहत पहले ही दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उठा चुके हैं, वे नई योजना के तहत किसी भी वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। यदि किसी कर्मचारी को पुरानी योजना के तहत केवल एक वेतन वृद्धि मिली है, तो वह किसी विशेष समूह में ***18*** साल की सेवा पूरी करने पर निर्धारित तिथि या बाद की तारीख से, जैसा भी मामला हो, दूसरी वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

(v) यदि पुरानी योजना के तहत अतिरिक्त वेतन वृद्धि *1* जुलाई *1992* से पहले देय हो गई है, तो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पुरानी योजना के तहत दिया जाएगा।

(vi) इन निर्देशों के जारी होने से पहले पुरानी योजना के तहत तय किए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

(vii) ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए ओपन-एंडेड स्केल से संबंधित मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(viii) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

(ix) नई योजना *1* जुलाई, *1992* से लागू होगी।"

(14) राज्य सरकार ने एक और योजना शुरू की, - दिनांक *8* फरवरी, *1994* की अधिसूचना के तहत जो *1* जनवरी, *1994* से प्रभावी हुई। उच्च मानक वेतनमान योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत, *10/20* वर्ष की नियमित सेवा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च मानक वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।

(15) श्रेणी 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, हरियाणा राज्य - अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.*4/*कॉन्स्ट./ आर्ट.*309/98,* दिनांक *7* जनवरी, *1998* द्वारा जारी सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम , *1998.* उक्त नियम के तहत एसीपी स्केल देने की पात्रता नियम *5* में दी गई है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है*:*

"5. एसीपी स्केल (*I)* के अनुदान के लिए पात्रता:- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो न्यूनतम *10* वर्ष की अवधि के लिए, यदि न्यूनतम अवधि अन्यथा इन नियमों में या सरकार द्वारा *10* वर्ष से भिन्न निर्दिष्ट नहीं है, समय-समय पर सरकारी सेवकों के वर्ग या श्रेणियों को *31* दिसंबर, *1995* को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान से अधिक वेतनमान देने के संदर्भ में कोई वित्तीय उन्नयन नहीं मिला है, जिस पर उन्हें सीधी भर्ती के रूप में प्रवेशार्थी भर्ती किया गया था।

*(*ए) या तो पदानुक्रम में उसकी कार्यात्मक पदोन्नति के परिणामस्वरूप*;* या

*(*बी) समान पद के लिए वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप*;* या

*(*सी) किसी अन्य घटना के परिणामस्वरूप, जिसके माध्यम से पद के कार्यात्मक वेतनमान को *31* दिसंबर, *1995* को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान के संबंध में अपग्रेड किया गया है, वेतन आहरण के प्रयोजनों के लिए होगा, उसके संदर्भ में प्रथम एसीपी स्केल में नियुक्ति के लिए पात्र हो।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिसे *3, 1* दिसंबर, *1995* को उस पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान से अधिक वेतनमान देने के संदर्भ में एक से अधिक वित्तीय उन्नयन नहीं मिला है, जिस दिन उसे सीधी भर्ती के रूप में प्रवेशार्थी भर्ती किया गया था।

*(*ए) या तो परिणाम के रूप में या पदानुक्रम में उसकी कार्यात्मक पदोन्नति के रूप में*;* या

*(*बी) समान पद के लिए वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप*;* या

*(*सी) किसी अन्य घटना के परिणामस्वरूप, जिसके माध्यम से पद के कार्यात्मक वेतनमान को ***31*** दिसंबर, ***1995*** को पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान के संबंध में अपग्रेड किया गया है, वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। , उसके संदर्भ में दूसरे एसीपी स्केल में नियुक्ति के लिए पात्र हों:

बशर्ते कि एसीपी स्केल का अनुदान भी इस नियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय उन्नयन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण-एसीपी स्केल उन्नयन तभी लागू होगा जब ऊपर निर्दिष्ट समान पद के लिए कार्यात्मक पदोन्नति या स्केल के उन्नयन के कारण, सरकारी कर्मचारी को ***10*** साल की निर्धारित अवधि के भीतर कम से कम एक वेतनमान उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो या किसी और निर्धारित अवधि के लिए प्रथम एसीपी स्केल का लाभ नहीं मिला हो या 20 वर्ष की अवधि के भीतर या दूसरे एसीपी स्केल के अनुदान के लिए अन्यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर दो ऐसे वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो । यदि 10 वर्षों की सेवा के भीतर या 1 एसीपी के अनुदान के लिए सेवा की निर्धारित अवधि के भीतर, कर्मचारी को कम से कम वित्तीय उन्नयन पहले ही मिल चुका है या 20 वर्षों की सेवाओं के भीतर, दूसरे एसीपी स्केल के अनुदान के लिए सेवा की अन्यथा निर्धारित अवधि, सरकारी कर्मचारी को पहले से ही कम से कम दो वित्तीय उन्नयन मिल चुके हैं, जैसा भी मामला हो, इन नियमों का लाभ ऐसे कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके कि इन नियमों में प्रावधान किया गया हो।

(3) एसीपी वेतनमान के अनुदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए सरकारी सेवक को निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगी:

*(*ए) एसीपी वेतनमान के अनुदान के लिए पात्रता के लिए संबंधित निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी को अपने कैडर में कार्यात्मक पदानुक्रम में अगले उच्च पद पर पदोन्नत होने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, लेकिन रिक्ति की कमी के कारण कार्यात्मक रूप से, पदानुक्रम में वह पदोन्नति पद जिस पर वह पदोन्नत होने का पात्र है, उस पर पदोन्नत नहीं किया जा सका।

*(*बी) यदि ऐसी पदोन्नति में किसी विभागीय पद की परीक्षा या अन्य परीक्षा आदि शामिल हो तो ऐसी शर्त भी ऐसे सरकारी सेवक को पूरी करनी होगी।

(4) एसीपी स्केल प्रदान करने की पात्रता समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य प्रतिबंध के अधीन होगी, जिसमें प्रतिशत के संदर्भ में संबंधित एसीपी स्केल प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या का प्रतिबंध भी शामिल है। उस संवर्ग में पद की संख्या जिस तक ऐसे एसीपी प्लेसमेंट सीमित होंगे:

बशर्ते कि जब तक सरकार की ओर से इस तरह के प्रतिबंध न लगाए जाएं.

*(*ए) नियम *4* के उप-नियम *(2)* में शामिल सरकारी सेवकों के संदर्भ में प्रथम या द्वितीय एसीपी स्केल प्रदान किए जाने वाले सरकारी सेवकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

*(*बी) उपनियम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसार, प्रथम एसीपी स्केल प्रदान करने के लिए सरकारी सेवकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालाँकि, नियम 4 के उप-नियम (1) में शामिल ऐसे सरकारी सेवकों के लिए दूसरे एसीपी स्केल का अनुदान कैडर में कुल पदों के 20% तक सीमित होगा।

(16) कुछ सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिसमें उच्च मानक वेतनमान का लाभ देने के लिए सेवा की कुल अवधि की गणना करने के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा का लाभ मांगा गया। उन रिट याचिकाओं का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा आर.के. मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार किया गया था। सिंगला बनाम हरियाणा राज्य, सिविल रिट याचिका संख्या ***15034/1993***। आर.के. सिंगला ने ***2*** जून, ***1989*** के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी (तीन विंग) के इंजीनियरों और डॉक्टरों को दिए गए चयन ग्रेड के लाभ के लिए अपनी सेवा की गणना के लिए ***12*** साल की तदर्थ सेवा के लाभ का दावा किया।

(17) आर.के. सिंगला के मामले (सुप्रा) में , उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निस्तारण करते समय कहा कि , तदर्थ सेवा जो वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के उद्देश्य से गणनीय है, सीधी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, जैसा कि अघोर नाथ के मामले और चंबेल सिंह के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ में बताया गया है, ***2*** जून, ***1989*** के परिपत्र के संदर्भ में नियमित सेवा के उद्देश्य से गिना जाएगा। राज्य ने माननीय

शीर्ष न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***1996*** की सिविल अपील संख्या ***13423,*** हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य में निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"इस प्रकार, लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी उपयुक्तता का निर्णय लेने के बाद प्रतिवादी राकेश कुमार की नियुक्ति वैधानिक नियमों के अनुसार एक नई नियुक्ति थी और प्रतिवादी राकेश कुमार की नियमित सेवा की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब वह प्रस्ताव के अनुसार पद पर शामिल हुए थे। दिनांक ***29*** जनवरी, ***1982*** की नियुक्ति और उसके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की अवधि को नियमित सेवा नहीं माना जा सकता है और न ही इसे ***12*** जून, ***1989*** के सरकारी परिपत्र के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बाद की सेवा में जोड़ा जा सकता है। साथ ही ***16*** मई, ***1990*** का स्पष्टीकरण परिपत्र। इसलिए, उच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।'

(18) आर.के. सिंगला का मामला (सुप्रा) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय खारिज कर दिया गया है।

(19) उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कार्य प्रभारित सेवा की गिनती की राहत के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर की गई ***16*** विशेष अनुमति याचिकाएं, हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य के मामले (सुप्रा) पर निर्णय लेते समय, शीर्ष अदालत द्वारा अलग कर दी गईं।) और शीर्ष अदालत ने इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इन ***16*** मामलों का निर्णय अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन

न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***3, 1*** अक्टूबर, ***2000*** को मुख्य अपील संख्या ***5740-5741, 1997,*** हरियाणा राज्य बनाम रविंदर कुमार और अन्य में किया गया। फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार है***:-***

"मामलों के इन बैच को उसी राज्य से अपील के एक अन्य बैच की सुनवाई के दौरान अलग कर दिया गया था, जिनका निपटारा हमारे द्वारा ***19*** सितंबर, ***2000*** के फैसले द्वारा किया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने माना है कि इन मामलों में हम इससे चिंतित हैं हैं कि उन कर्मचारियों से संबंधित जो शुरू में कार्य प्रभार के आधार पर लगे थे और बाद में उन्हें नियमित कर सेवा के कैडर में लाया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि उनकी अवधि, जो कर्मचारियों ने प्रदान की है कार्य प्रभार के आधार पर, कैडर में वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन के लिए अर्हक सेवा की गणना की जाती है। इसलिए, हमें ***8*** और ***18*** वर्ष पूरे होने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से उनकी अवधि की गणना नहीं करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। सरकारी सर्कुलर के अनुसार उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए सेवा के साथ-साथ ***10*** और ***20*** साल की सेवा, जिसका स्पष्ट रूप से विशेष ग्रेड में ठहराव से बचने का इरादा है।

(20) हरियाणा राज्य में हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य और रविंदर कुमार (सुप्रा) के मामलों में अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए परिपत्र संख्या ***6/16/2001-3***पीआर (एफडी), दिनांक ***15*** मार्च, ***2002,*** अनुलग्नक आर-***VI*** जारी किया, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

" सरकारी पत्र दिनांक *7* अगस्त *1992* के अनुसार, शुरु की गई योजना के तहत *8/18* साल की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के लिए सेवा की निर्धारित अवधि की गणना के उद्देश्य से तदर्थ सेवा को नियमित सेवा में नहीं गिना जाएगा। यह योजना सरकार द्वारा पीडब्लूडी *(*तीन विंग) के इंजीनियरों और डॉक्टरों के लिए शुरू की गई थी*, - 2* जून*, 1889* के सरकारी निर्देशों के साथ*, 16* मई*, 1990* के स्पष्टीकरण निर्देशों और उच्च मानक की योजना के तहत उच्च मानक पैमानों के साथ पढ़ा गया। समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए वेतनमान की शुरुआत की गई*, -* दिनांक *8* फरवरी*, 1994* के पत्र के माध्यम से*,* लेकिन *1* जनवरी*, 1994* से प्रभावी।

(ii) नियमित सेवा के बाद कार्य प्रभार के आधार पर प्रदान की गई सेवा को कैडर में वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गिना जाता है*,* इसे सेवा की निर्धारित अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। *8/18* साल की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि की योजना लागू की गई*, - 7* अगस्त*, 1992* के सरकारी निर्देशों के तहत और *10/20* साल की सेवा पूरी करने पर उच्च मानक वेतनमान की योजना के तहत उच्च मानक वेतनमान देने की योजना सरकार द्वारा लागू की गई*, -* रविंदर कुमार के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक *8* फरवरी*, 1994* के पत्र के माध्यम से।

बशर्ते कि उक्त लाभ प्रासंगिक तारीखों पर काल्पनिक आधार पर दिए जा सकते हैं*,* लेकिन बकाया का वास्तविक भुगतान इन निर्देशों के जारी होने से पहले *38* महीने की अवधि तक ही सीमित रहेगा। हालाँकि*,* ऐसे मामलों में जहां माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित लाभ प्रदान किया गया है*,* ऐसे मामलों में याचिकाकर्ताओं को सिविल रिट याचिका दायर

करने की तारीख से ***38*** महीने पहले की अवधि या प्रासंगिक योजना की शुरूआत की तारीख, जो भी बाद में हो, बकाया भुगतान की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी मामले में माननीय न्यायालय द्वारा ***38*** महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया भुगतान करने के लिए विशिष्ट निर्देश हैं, तो भुगतान केवल विशिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। योजना के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(iii) कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य प्रभारित सेवा शुरू की गई योजना के तहत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के लिए गणना योग्य होगी, - सरकारी निर्देशों दिनांक *7* अगस्त, ***1992*** के तहत और उच्च मानक वेतनमान के लिए शुरू की गई योजना के तहत, - निर्देश दिनांक***8*** फरवरी, के अनुसार ।

(21) निर्देश दिनांक *7* अगस्त ***1992*** के तहत राज्य सरकार ने रविंदर कुमार का मामला (सुप्रा***)*** को ध्यान में रखते हुए ***8/1 8*** वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से नियमित सेवा के बाद कार्य प्रभारित सेवा का लाभ बढ़ा दिया है। हालाँकि, उक्त लाभ को नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। सरकार द्वारा निकाला गया उक्त भेद काल्पनिक है और रविंदर कुमार के मामले (सुप्रा) में प्राधिकारी के अनुरूप नहीं है। तदर्थ सेवा, उसके बाद नियमित सेवा, उतनी ही अच्छी है जितनी कार्य प्रभारित सेवा, उसके बाद नियमित सेवा। इसलिए, उक्त भेद कानूनी जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

(22) 14 मई ***1991*** एवं *7* अगस्त ***1992*** के परिपत्रों में उल्लिखित वेतनमान वर्ग 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों को उन परिपत्रों में उल्लिखित सेवा पूर्ण होने पर दिये गये। रविंदर कुमार के मामले (सुप्रा) में बताया गया है, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने माना है कि कर्मचारी ***10/20*** वर्ष या ***8/18*** वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रयोजन के लिए तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा को गिनने के हकदार हैं। हालाँकि, हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि कर्मचारी उच्च वेतनमान/एसीपी स्केल के अनुदान के उद्देश्य से तदर्थ सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि उपरोक्त प्राधिकार को ध्यान में रखते हुए, तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा को ***1 0/20*** वर्ष की सेवा या ***8/18*** वर्ष की समाप्ति के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। सेवा के वर्ष जैसा कि ऊपर उल्लिखित परिपत्र में बताया गया है। आगे यह माना जाता है कि उक्त तदर्थ सेवा/कार्य प्रभारित सेवा के बाद नियमित सेवा को भी वरिष्ठता और पेंशन के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए।

(23) जहां तक प्राधिकरण राज्य राजस्थान और अन्य बनाम फारूक अहमद और अन्य***(1)*** का संबंध है, का संबंध है, वही अलग-अलग है क्योंकि उस प्राधिकरण में ही उल्लेख किया गया है कि तदर्थ सेवा की गणना जारी परिपत्र पर निर्भर करती है। सरकार। राजस्थान राज्य द्वारा जारी परिपत्र हरियाणा राज्य द्वारा जारी परिपत्रों के समान नहीं हैं। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार दिया गया है ।

*"*हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा पशु चिकित्सा और एएचटीएस एसोसिएशन और अन्य, ***2000 (8)*** एससीसी ***4*** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा को चयन वेतनमान देने के लिए नहीं गिना जाएगा। हालांकि, राज्य में एक डिवीजन बेंच राजस्थान बनाम उमा शंकर अग्रवाल और अन्य, ***(***डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या ***1142/2002)*** ने सुप्रीम कोर्ट के

फैसले को अलग किया था और यह विचार किया था कि किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की अवधि को इस उद्देश्य के लिए गिना जाना चाहिए। उसे चयन वेतनमान प्रदान करना। यह दृष्टिकोण इस आधार पर लिया गया था कि हरियाणा नियम, जिसके आधार पर एएचटीएस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, उन नियमों से भिन्न थे जिनसे हम चिंतित हैं। हममें से दो लोग पहले के दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह कर रहे हैं डिविजन बेंच ने मामले को फुल बेंच के पास भेज दिया। इस तरह से मामले हमारे सामने आए हैं।"

जहां तक सिविल रिट याचिका ***1999*** का क्रमांक ***8833*** शीर्षक हनुमंत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता का सवाल है, कि प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है क्योंकि उस मामले में रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया था कि उत्तरदाता चार से छह महीने के भीतर वरिष्ठता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विवाद का फैसला करेंगे।

(24) याचिकाकर्ताओं को भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एससी और एसटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ***(2)*** के रूप में रिपोर्ट किए गए प्राधिकरण का कोई लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि न्यायालय के आदेश के तहत किसी भी याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्राधिकार में, यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय के आदेश के तहत कर्मचारी को दिया गया कोई भी लाभ बाद में कानून में बदलाव के कारण छीना नहीं जा सकता है।

(25) इसलिए, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित प्रश्न संख्या ***1*** का उत्तर विपक्ष में दिया गया है। जबकि प्रश्न संख्या ***2*** और ***3*** का उत्तर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ दिया गया है और इसे निम्नानुसार माना जाता है।

(ए) नियमित सेवा के बाद तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा को ***8/18*** या ***1 0/20*** वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान/सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना का लाभ देने के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

(बी) तदर्थ/कार्य प्रभारित सेवा के बाद नियमित सेवा को ***10/20*** या ***8/18*** वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(सी) नियमित सेवा के बाद तदर्थ सेवा को पेंशन और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

(26) अतः, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। उत्तरदाताओं को उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं का वेतन तय करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा